न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—07/2019

रामकिशन पुत्र साधुराम जाति नायक उम्र 50 वर्ष निवासी चक 15 ए बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

—— प्रार्थी

बनाम्

1. पन्नाराम पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी 15 ए(बी) तहसील अनूपगढ़
2. अनचाई देवी पत्नी साधुराम जाति नायक निवासी 15 ए(बी) तहसील अनूपगढ़
3. रूखीदेवी पत्नी कालूराम जाति नायक निवासी15 ए(बी) तहसील अनूपगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांकः—30.03.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 15 ए(बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—11 पत्थर सं.—303/454 के किला नम्बर 16ता19 प्रत्येक सालम, 20/2 का 0.228, 21/2 का 0.228 हैक्टर, 22ता25 प्रत्येक सालम कुल 2.480 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.—1ता3 के नाम से बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एव अप्रार्थी सं.—1ता3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के रूप में दर्ज है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1ता3 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.—1ता3 द्वारा पारस्परिक तौर पर उक्त कुल कृषि भूमि का घरेलू खाता विभाजन कर रखा है जिस घरेलू खाता विभाजन मे प्रार्थी के हिस्सा में किला नम्बर 16,17 सालम व 18 का आधा, अप्रार्थी सं.—3 के हिस्सा में किला नम्बर 18 का आधा, 19, 20 एवं अप्रार्थी सं.—1व2 के हिस्सा में किला नम्बर 21,22,23,24,25 हिस्सा में आया इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.—1ता3 घरेलू मौखिक खाता विभाजन अनुसार अपने अपने हिस्सा में आये किलाजात की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। और इसी अनुसार अपने अपने हिस्सा व किला की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं उक्त भूमि के किला नं.—17 में प्रार्थी की ढाणी बनी हुई है व किला नम्बर 20 में अप्रार्थी सं.—3 की ढाणी बनी हुई है उक्त कृषि भूमि के किला नम्बर 1,10,11,20,21 के साथ स्वीकृतशुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है। नजरी नक्शा संलग्न है। प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त की उक्त भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नही है। इसलिए प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं.—3 के हिस्सा व कब्जा के किला [illegible] 21,22,23 में 1—1 बिस्वा भूमि में रास्ता की आवश्यकता है क्योंकि पूर्व में आपसी [illegible] सहमति से प्रार्थी इन्ही किलाजात मे होकर अपने हिस्सा व कब्जा के किला [illegible] में आवागमन करता है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी [illegible] अन्य कोई रास्ता सुगम व सुविधाजनक नही है। ऐसी स्थिति में किला नं—20 में अ[illegible] सं—3 की बनी ढाणी के पीछे से किला नम्बर 21,22,23 में 1—1 बिस्वा (किला नं—18,19,20 की बटपर) रास्ता को स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जो रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी प्रार्थी को आवश्यकता है। रास्ता न होने पर प्रार्थी की भूमि मे काश्त करना, सिंचित करना, कृषि संयत्र लाना ले जाना व उसके किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.06.03 18:22:32 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 17 में बनी ढाणी आवागमन करना दुर्लभ होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को चक 15 ए(बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–11 पत्थर सं–303/454 के किला नम्बर 20 में अप्रार्थी सं–3 की बनी ढाणी के पीछे से किला नम्बर 21,22,23 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना सुविधाजनक होगा। उक्त रास्ता के लिए जो भी शर्त माननीय न्यायालय अधिरोपित करेगी उसके लिए भी प्रार्थी तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1ता3 को कई बार कहा कि वे किला नम्बर 21,22,23 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा देवे ताकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए पर्याप्त व उचित रास्ता उपलब्ध हो सके लेकिन अप्रार्थी सं.–1ता3 ने अरसा तीन रोज पूर्व प्रार्थी की कोई बात मानने से इंकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि वह प्रार्थी को कोई रास्ता नही देगें। बस यही बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अनावेदकगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध तलबी के बावजूद उपस्थित नहीं होने के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ ने वकालतनामा पेश कर उपस्थित आए। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ। प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षण से रिपोर्ट तलब की गई।

तदपंरात बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या–2 एवं 3 के अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत नहीं कर यह निवेदन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की भूमि के मुताबिक रिकॉर्ड रास्ता पहुॅच मार्ग है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी सं.–03 के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि किला– नं.–16,17 व 18 व इसमें बनी ढाणी मे आवागमन हेतु व किला नम्बर 20 की ढाणी के पीछे से रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है चूंकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया यह रास्ता ढाणी में आवागमन हेतु कथन किया है व मौका पर चाहा गया रास्ता चालू भी नही है ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्टेज पर हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा251 ए के तहत कृषि भूमि के आवागमन के लिए रास्ता दिया जाना प्रभाषित है एवं प्रार्थी द्वारा अपनी ढाणी के लिए रास्ता चाहा गया है जो न्यायोचित नही है।

प्रार्थी रामकिशन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ द्वारा वास्तविक एवं पूर्ण स्थिति न्यायलय के समक्ष पेश नही की है, चूंकि प्रथम तो दक्षिण दिशा के चिपते काश्तकार ने उक्त रास्ता बंद कर रखा है द्वितीय बीकानेर मुख्य सड़क से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में कृषि संयत्र लाने ले जाने एवं कृषि उपज को मुख्य मंडी अनूपगढ़ में बैचान करने के लिए लाने ले जाने हेतु लगभग 8 मुरब्बा दूरी से आना जाना पड़ता है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ता स्वीकृत होता है तो प्रार्थी के लिए मुख्य सड़क हेतु सबसे सुगम एवं लघुत्तम रास्ता होगा तथा तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ से पुनः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को मध्यनजर रख पूर्ण एवं वास्तविक रिपोर्ट इस आशय की मंगवाई जावे कि प्रार्थी बीकानेर [illegible] सुगम रास्ता से अपनी कृषि भूमि पर सुविधाजनक रूप से पहुॅच सकता है।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में न्याया[illegible] निम्नानुसार है–

(i) उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी[illegible] बहिस्सा बराबर संयुक्त खातेदार है। संयुक्त खाते की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक स[illegible]तेदार का समान अधिकार होता है। राज.काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने एवं रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रमाणित होने पर अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खोलने का प्रावधान है, स्पष्ट है कि यह प्रावधान किसी सहखातेदार को रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में लागू नहीं होता। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम धारा 53 राज. काश्त.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.06.03 18:22:32 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम के तहत जोतों का विभाजन करवाना विधिपूर्ण होगा, जिसके परिणामस्वरूप विभाजित जोतो के लिए रास्ते का प्रावधान किया जाना विधिक रूप से बाध्यकारी होने के कारण प्रार्थी को स्वतः ही रास्ते का अनुतोष आनुषांगिक रूप से प्राप्त हो जाऐगा। उक्त कारण से हस्तगत प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है।

(ii) प्रार्थी द्वारा दिनांक–06.11.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सीपीसी में कथन किया है कि तहसीलदार राजस्व अनूपगढ द्वारा वास्तविक एवं पूर्ण स्थिति न्यायालय के समक्ष पेश नही की है चूंकि प्रथम तो दक्षिण दिशा के चिपते काश्तकार ने उक्त रास्ता बंद कर रखा है द्वितीय बीकानेर मुख्य सड़क से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में कृषि संयत्र लाने ले जाने एवं कृषि उपज को मुख्य मंडी अनूपगढ़ में बैचान करने के लिए लाने ले जाने हेतु लगभग 8 मुरब्बा दूरी से आना जाना पड़ता है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ता स्वीकृत होता है तो प्रार्थी के लिए मुख्य सडक हेतु सबसे सुगम एवं लघुत्तम रास्ता होगा। अगर स्वीकृत रास्ता बंद है तो प्रार्थी तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है आगे प्रार्थी के कथन से जाहिर होता है कि प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ता सुविधा के लिए चाहा जा रहा है एवं रास्ता आत्यन्तिक रूप से आवश्यक नहीं है।

अंततः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी रामकिशन की सयुंक्त खातेदारी कृषि भूमि को मुताबिक रिपोर्ट भू0 अभिलेख निरीक्षक रिकॉर्ड रास्ता पहुँच मार्ग होने एवं आवेदक को मौका काश्तानुसार आराजी नये रास्ता की जरूरत नहीं होने का कथन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत संयुक्त खाते की भूमि होने, रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यक नहीं होने, पूर्व में रास्ते की सुविधा होने एवं केवल वांछित रास्ता जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–91 राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pawan Kumar
Date: 2021.06.03 18:22:32 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़